

प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
मेरठ।

विषय:--1108 /LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020

एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108 /LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated 20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के सम्बन्ध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।


भवदीय,

दिनांक : 11.06.2020

(विनय प्रकाश सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट  
मेरठ।

प्रेष्य,

✓ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मेरठ।

संख्या-1173/एलटी-नगर/कोविड-19

दिनांक- 11 जून, 2020

**Sub. Regarding Machanism/modalities for opening of Courts subordinate to High Court of judicature at Allahabad.**


संदर्भ

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय के पत्र संख्या-1221/प्रथम, दिनांकित 06.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त को अतिरिक्त अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के खण्ड में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या-1362/2020/सीएस-3 दिनांक 31.05.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01-06-2020 से दिनांक 30-06-2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

उक्त में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के आदेश संख्या-1558/ओएस0डी0-कैम्प/2020, दिनांक 05.06.2020 के अन्तर्गत 'Containment Zone' एवं 'Buffar Zone' की सूची जारी की गयी है, जिसके क्रमांक-35 पर शॉर्ट कम्पाउण्ड को 'Containment Zone' में उल्लिखित किया गया है, जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अपर नगर मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन), मेरठ के पत्र संख्या-1700/पेशकार-2020, दिनांकित 06.06.2020 में स्पष्ट किया गया है कि वेस्टर्न कवचरी रोड वेगन बाग स्थित इसोका हाउस हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। इसकी समिकट स्थित कोर्ट परिसर इस हॉट स्पॉट के 'Containment Zone' की सीमा के अन्तर्गत आता है। उक्त पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

नयदीप,  
  
(अजय कुमार तिवारी)  
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)  
मेरठ।

प्रतिलिपि-

- 1- मा0 जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)  
मेरठ।

कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट(सिविल लाईन) मेरठ।

संख्या: 700 / पेशकार- 2020


दिनांक 08-08-2020.

अपर जिलाधिकारी(नगर)  
मेरठ।

महोदय,

अवगत कराना है कि वेस्टर्न काचहरी रोड बेगन बाग स्थित असीदा हाउस हाट साइट घोषित किया गया है। इसके समीकृत स्थित सिविल कोर्ट परिसर इस हाटरमाट के कम्पटेनमेण्ट ज़ोन की सीमा के अन्तर्गत आता है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

  
अपर नगर मजिस्ट्रेट(सिविल लाइन)  
मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

सं.स. 1556/ओएसओ/ओ-मैंग/2020

दिनांक 05-06-2020


आदेश


गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 29-5-2020 के तहत में विगत कुल राबि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 1302/2020/सीएस-3 दिनांक 31-05-2020 द्वारा पूर्ण से प्रभावी खास आदेश दिनांक 01-06-2020 से 30-06-2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश निम्न है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या 1556/ओएसओ/ओ-मैंग/2020 दिनांक 2-6-2020 द्वारा दिनांक 8-6-2020 तक, जगन्नाथ मेरठ के सम्पूर्ण नगर नियम क्षेत्र (वाई संख्या 6,10, 28 एवं 31 को छोड़कर) एव वॉन्ट वॉर्ड क्षेत्र में पूर्ण Complete Lock Down की स्थिति बनाये रहने के आदेश दिए गए थे तथा Containment Zone के बाहर दिनांक 03-06-2020 से वर्जित गतिविधियों को प्रतिबन्धित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी थी। साथ ही उपरोक्त आदेश में Containment Zone का निर्धारण सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा विहायस क्लियर से परामर्श प्राप्त करके किए जाने के आदेश दिए गए थे।

अतः जनहित में कोविड-19 को संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मजिस्ट्रेट/पुलिस विभाग तथा चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित Containment Zone एवं Buffer Zone (रूखी संलग्न) के बाहर, अब दिनांक 9-6-2020 से बरतनवाड़ तहसील के गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को 'इन्फोडेन्ट कमान्डर' के रूप में पहले से ही नामित किया गया है जिनके द्वारा अनुमन्य गतिविधियों को Containment Zone एवं Buffer Zone को बाहर सम्पन्न कराने के लिए वृथक से आदेश जारी किए जायेंगे। डीट रपीट/कन्टेनमेंट/मकर जोन में कोविल रोकथाम तथा आपसगत वस्तुओं की आपूर्ति ही की जा सकती है। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सम्बन्धित Containment Zone एवं Buffer Zone के क्षेत्र की साप्ताहिक रूप से प्रत्येक रविवार को जांच की जायेगी तथा Containment Zone एवं Buffer Zone से बाहर आने वाले क्षेत्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों द्वारा जिन क्षेत्रों में लक्षण दिखने का उल्लेख एवं आन्वेषिक गैर-मात्र का जुटना पाया जायेगा जिसके कारण कार्यालय वायर्स के सम्बन्ध का खतरा हो, उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनुमोदित गतिविधियों के संचालन का बन्द करने पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।


  
(अनिल कुमार)  
चरित पुलिस अधीक्षक, मेरठ।


  
(अनिल कुमार)  
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या व दिनांक प्रामाणिकानुसार

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ वरिष्ठ, मेरठ।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 5- समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 6- इन्चार्ज एकीकृत नियंत्रण कक्ष, एगोआईओसी, मेरठ।
- 7- पुलिस अधीक्षक-नगर/ग्रामीण, मेरठ।
- 8- नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 9- समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10- समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, मेरठ (द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ)
- 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस निर्देश को साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का प्रकाशन/प्रसारण जनपद के दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनहित में निरुत्का कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 12- समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
(अनिल सिंघा)  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ

  
(अनिल सिंघा)  
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।